

फटे अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपरबद अतिकारी महेसिकराय
 सरकार बनाम बाबूलाल बनाम राजे
 किरम मुकदमा कावा मु० न० ७५/२२

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1 12/20	<p>पत्रावली मिसल तलबी प्रार्थना पत्र पर आज पेशा हुई। तहसीलदार सिकराय के पत्र क्रमांक: प्र.अ/2020/2995 दिनांक 27/11/20 से सुरेजात प्राप्त हो चुके हैं। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4/11/20 को वाठे रामा खेड़ाफाडपुर के खसरा नं० 291/25 रकबा 0.63 हे० का मुताबिक दर्ज हिसा जमाबन्दी अनुसार बाई मिसल लूठ बाउस यथा लम्बदु मुँके अनुसार विभाजन निपट 18 से 20 तहख शवा वाडी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 की सहमती से व प्रतिवादी संख्या, 3, 4, 6 लगायत 9 वाकूक तामील होने पर शवा वाडी प्राथमिक डिक्री किमा गया है।</p> <p>अतः वकील वाडी द्वारा अपठ होकर शवा मुताबिक सुरेजात स्वीकार कर आतिम डिक्री करने का निवेदन किमा गया पत्रावली का अवलोकन किमा कहेले की मम्म किमा शवा वाडी र-पीमा किमा जाता है। वाठे रामा खेड़ाफाडपुर के खसरा नं० 291/25 रकबा 0.63 हे० का मुताबिक सुरेजात रिपोर्ट अनुसार नकासा करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को डिक्री जाते हैं। प्रतिवादीजग को उक्त वकील वाडी की में कलजे काशत के मजाठमत पैदा गरी करने के लिए प्रतिवन्ती किमा जाता है निर्णय मेरे द्वारा निश्वाधा जी के सुले न्यायालय के सुनाया गया। पत्रावली पोसल हुआ होकर नम्बर ले कर डी।</p>	

14/12/20
 उपरबद अतिकारी
 सिकराय जिला-दीसा